न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

11

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

थम अपील संख्या 37/2020

पृथ्वी सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल, मु0पो0 कोलसिया, वाया नवलगढ, जिला झुंझुनूं
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ।
— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 37/2020 पर दिनांक 09.07.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/694—695 दिनांक 10.07.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2020/383 दिनांक 04.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 07.06.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/20/327 दिनांक 19.06.2020 द्वारा समयावधि मे ही प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/2020/383 दिनांक 04.08.2020 के अनुसार उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/20/327 दिनांक 19.06.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू